संख्या-32/2022/168/22-2-2022-17(75)/2022

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3991/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-10-01-2022) दिनांक-03-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव, जो धुल्लिया, थाना-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 25.11-2002 को गांव की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया एवं लड़की के अपने घर पर कह देने के डर से उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-314/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट संख्या-06, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 26.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.01.2022 तक 19 वर्ष 00 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकने, अभी अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.11-2002 को गांव की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया एवं लड़की के अपने घर पर कह देने के डर से उसकी गला दबा कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, आयु, जेल आचरण असंतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने आदि समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-2304/2008 बेबी सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बेबी सिंह (बन्दी संख्या-28076) पुत्र श्री राममूर्ति यादव, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2022/168(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-32/2022/168/22-2-2022-17(75)/2022

दिनांक 20 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव, जो धुल्लिया, थाना-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 25.11-2002 को गांव की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया एवं लड़की के अपने घर पर कह देने के डर से उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-314/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0, कोर्ट संख्या-06, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 26.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.01.2022 तक 19 वर्ष 00 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकने, अभी अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.11-2002 को गांव की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया एवं लड़की के अपने घर पर कह देने के डर से उसकी गला दबा कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, आयु, जेल आचरण असंतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने आदि समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बेबी सिंह पुत्र श्री राममूर्ति यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।